भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 875

दिनांक 07.02.2022 को उत्तर के लिए

भूमंडलीय तापन

875. डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैश्विक भूमंडलीय तापन से संबंधित उभरती हुई नई चुनौतियों का सामना करने और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का हल करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार वैश्विक भूमंडलीय तापन से उभरती हुई नई समस्याओं की पृष्ठभूमि में औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में और सुधार करेगी; और

(ग) क्या सरकार का वैश्विक भूमंडलीय तापन के संबंध में समाज को शिक्षित करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक व्यवहार को संशोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी), इसके क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते (पीए) का एक पक्षकार है, जो देशों को जलवायु परिवर्तन का सामूहिक रूप से समाधान निकालने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। भूमंडलीय तापन एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए, मंत्रालयों और विभागों में कार्य भी नए आंकड़ों और इस विषय पर बढ़ती हुई वैज्ञानिक जानकारी को ध्यान में रखते हुए बढ़ रहे हैं।

सरकार ने जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किया है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को 2030 तक 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने से संबंधित मात्रात्मक लक्ष्य, 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनो से लगभग 40% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता प्राप्त करना, और 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करना शामिल हैं।

सरकार जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) कार्यान्वित कर रही है, जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन के लिए व्यापक

नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। एनएपीसीसी के राष्ट्रीय मिशनो के विशिष्ट क्षेत्रों में सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, जल, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय आवास, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन पर कार्य-नीतिक ज्ञान शामिल हैं। इसके अलावा, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एनएपीसीसी के उद्देश्यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजनाएं (एसएपीसीसी) तैयार की हैं।

सरकार सतत विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित गति या पैमाने पर प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में कम कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध है और यह जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए वैश्विक प्रयासों में उचित योगदान को दर्शाता है।

(ग) भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन पर शिक्षा और जागरूकता संबंधी कार्य सभी स्तरों पर सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों और उनके संघटक संगठनों द्वारा आम जनता के लिए किया जाता है। पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) 2005 पर्यावरण संरक्षण और स्कूली छात्रों और शिक्षकों के बीच पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता उत्पन्न करने पर जोर देता है। जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरण संबंधी चिंताओं और अवधारणाओं को एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनियों के विषयों में से एक विषय पर्यावरण है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण (ईईएटी) योजना को पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए छात्रों की भागीदारी को जुटाने के उद्देश्य से लागू कर रहा है। इस योजना के तहत दो प्रमुख कार्यक्रमों नामश: राष्ट्रीय हरित कोर (एनजीसी) कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रकृति शिविर कार्यक्रम (एनएनसीपी) के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाता है। एनजीसी कार्यक्रम के तहत, छात्रों को शिक्षित करने और जलवायु परिवर्तन के पहलुओं सहित पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में 1 लाख से अधिक इको-क्लब बनाए गए हैं। इको-क्लब विभिन्न गतिविधियों जैसे वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवसों पर समारोह, कचरा पृथक्करण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता प्रसार और क्षमता निर्माण आदि करते हैं। यूएनएफसीसीसी (सीओपी 26) के पक्षकारों के 26वें सम्मेलन में भारत द्वारा साझा किए गए एलआईएफई (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) मंत्र, तीन पी - "प्रो प्लेनेट पीपल" के लिए एक आंदोलन बनाते हुए, हानिकारक उपभोग के विपरीत सावधानीपूर्वक और जानबूझकर उपयोग के मूल्यों का प्रचार करता है।

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय छात्रों को 'ग्रीन गुड डीड' को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ये सरल, व्यावहारिक कदम हैं जिन्हें छात्र अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए अपना सकते हैं। 4 से 10 अक्टूबर, 2021 के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हरित प्रतिज्ञा पहल में 7.5 लाख से अधिक छात्रों की ऑनलाइन भागीदारी देखी गई थी।

******